(2025) 9 एस.सी.आर. 178: 2025 आईएनएससी 994

एम0वी0 लीलावती

बनाम

डा0 सी0आर0 स्वामी उर्फ डा0 सी0आर0 कुमारस्वामी

(सिविल अपील सं0 (संख्याएँ) 10684 - 10685 वर्ष 2025)

18 अगस्त 2025

[विक्रम नाथ तथा संदीप मेहता न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय मुद्दा

कुटुम्ब न्यायालय ने स्थायी निर्वाहिका के रूप में रू0 15,00,000/- अधिनिर्णीत किया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

शीर्ष टिप्पणियाँ

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 - विवाह-विच्छेद की डिक्री-स्थायी निर्वाहिका - कुटुम्ब न्यायालय ने विवाह-विच्छेद की डिक्री स्वीकृत किया था तथा स्थायी निर्वाहिका के रूप में रू0 15,00,000/- अधिनिर्णीत किया था- उच्च न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद के स्वीकृति को अनुमोदित किया था तथा अभिनिर्धारित किया कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा निर्वाहिका के रूप में अधिनिर्णीत रू0 15,00,000/- उचित है - विशुद्धता:

अभिनिर्धारित: विवाह-विच्छेद की डिक्री अभिपुष्ट - निर्वाहिका के अवधारण हेतु कई घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक है - अभिलेख पर सामग्री से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के पास कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत धनराशि से ज्यादा धनराशि अदा करने की क्षमता है- फिर भी, यद्यपि अपीलकर्त्री बेरोजगार होने का दावा करती है, वह अत्यन्त योग्य है तथा अर्जित करने एवं स्वयं का भरणपोषण करने की क्षमता है- वह विकट आर्थिक तंगी की स्थिति में नही है - इसलिए उत्तरदाता के क्षमता तथा अपीलकर्त्री के जरूरतों पर विचार करते हुए संतुलित दृष्टिकोण अंगीकार किया जाना चाहिए - अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इसे एक वारगी समझौता के रूप में रू0 50,00,000/- के स्थायी निर्वाहिका को बढ़ाना न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण पाता है- यह धनराशि युक्तियुक्त रूप से अपीलकर्त्री के भविष्य को सुरक्षित करेगा तथा इसके परिस्थितियों के अनुरूप जीवन स्तर को सुनिश्चित करेगा। (पैरा 9,10)

अधिनियमों की सूची

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

प्रमुख शब्दों की सूची

स्थायी निर्वाहिका; निर्वाहिका का अवधारण; अधिक धनराशि अदा करने की क्षमता, पोषण करने की क्षमता; अर्जित करने की क्षमता; आर्थिक हानि; शिक्षित; अत्यंत योग्य; स्थायी निर्वाहिका की वृद्धि - संतुलित दृष्टिकोण का अंगीकरण

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं0 (संख्याएँ) 10684 - 10685 वर्ष 2025

एमएफए सं0 3747 वर्ष 2015 तथा एमएफए सं0 2483 वर्ष 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय बंगलूरू के निर्णय तथा आदेश दिनांक 18-11-2022 से

अधिवक्तागण

अपीलकर्त्री के अधिवक्तागण:

शांत कुमार बी0 महाले, वरिष्ठ अधिवक्ता माधवेन्द्र सिंह, सुश्री अनुराधा भट्ट, सुश्री अद्वितीय शर्मा, हरिशा एस0आर0

उत्तरदाता के अधिवक्तागण :

मृगंक प्रभाकर, सुश्री साक्षी बंग, सिद्धार्थ साहू

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीले एम0एफ0ए0 सं0 3747/2015 (एफसी) तथा एम0एफ0ए0 सं0 2483/2022 (एफसी) में कर्नाटक उच्च न्यायालय बंगलुरू द्वारा पारित एक ही आदेश दिनांक 18-11-2022 से उद्भूत होता है। अपीलकर्त्री-पत्नी इस न्यायालय के समक्ष है क्योंकि उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब न्यायालय द्वारा स्वीकृत विवाह-विच्छेद के डिक्री की अभिपुष्टि किया है तथा स्थायी निर्वाहिका के रूप में अधिनिर्णीत रू0 15,00,000/- के धनराशि को अनुमोदित किया है।

3. अपीलों को उद्भूत करने वाले संक्षिप्त तथ्य निम्नवत् हैं:-

   3.1 अपीलकर्त्री - पत्नी तथा उत्तरदाता-पति का विवाह 27-02-2009 को हुआ था। उत्तरदाता ने चण्डीगढ़ में उच्च शिक्षा जारी रखा था, जहाँ अपीलकर्त्री दिसम्बर 2009 में इसका साथी बनी थी तथा जुलाई 2010 तक रही थी। अपीलकर्त्री ने इस अवधि के दौरान उत्तरदाता के आर्थिक रूप से सहयेाग करने का दावा किया है। विवाह निःसंतान है।

   3.2 15-06-2011 को, उत्तरदाता ने मानसिक-क्रूरता के आधार पर विवाह के विघटन की मांग करते हुए हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) (क) के अधीन याचिका दाखिल किया था।

   3.3 अपीलकर्त्री ने दात्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की मांग करते हुए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 23(1) (क) के अन्तर्गत प्रतिदावा के साथ याचिका के संबंध में आक्षेपों को दाखिल किया था।

   3.4 2014 में, अपीलकर्त्री ने भरणपोषण की मांग करते हुए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन आई0ए0 सं0 3 पेश किया था। कुटुम्ब न्यायालय ने, आदेश दिनांक 02-08-2013 द्वारा, इसे रू0 10,000/- प्रतिमाह अधिनिर्णीत किया था। असंतुष्ट, इसने रिट याचिका सं0 46786/2013 दाखिल किया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने, आदेश दिनांक 12-09-2014 द्वारा, धनराशि को रू0 25,000/- प्रतिमाह तक बढ़ाया था।

   3.5 आदेश दिनांक 25-04-2015 द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय ने विवाह-विच्छेद डिक्री को स्वीकृत किया था तथा स्थायी निर्वाहिका के रूप में रू0 15,00,000/- अधिनिर्णीत किया था।

3.6 व्यथित, अपीलकर्त्री ने विवाह-विच्छेद डिक्री तथा अपने प्रतिदावा के खारिजी के विरुद्ध एम0एफ0ए0 सं0 2483/2022 को अपास्त करने के लिए एम0एफ0ए0 सं0 3747/2015 दाखिल किया था। उत्तरदाता ने निर्वाहिका के मात्रा को चुनौती देते हुए एम0एफ0ए0 सं0 5015/2015 दाखिल किया था।

3.7 आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सभी तीनों अपीलों को खारिज किया था। इसने यह टिप्पणी करते हुए क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद के स्वीकृति को अभिपुष्ट किया था कि जबकि पत्नी ने वैवाहिक जीवन पुनः चालू करने की उत्सुकता व्यक्त किया है, पति अनिच्छुक है। न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि पति, जो पेशे से डाक्टर है तथा पत्नी, एक योग्य इंजीनियर है अब वकालत कर रही है, दोनों सक्षम व्यक्ति हैं तथा अभिनिर्धारित किया कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा निर्वाहिका के रूप में अधिनिर्णीत रू0 15,00,000/- उचित है।

3.8 अपीलकर्त्री-पत्नी ने वर्तमान अपीलों को अधिमानित किया है।

4. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

5. इन अपीलों में नोटिस मात्र निर्वाहिका के प्रश्न पर जारी किया गया था।

6. कुटुम्ब न्यायालय ने स्थायी निर्वाहिका के रूप में रू0 15,00,000/- अधिनिर्णीत किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमोदित किया था। हमने दोनों पक्षकारों को सभी सुसंगत घटकों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए आय तथा दायित्वों को प्रकट करते हुए शपथपत्रों को दाखिल करने का निदेश दिया है।

7. उत्तरदाता अपने रोजगार से लगभग रू0 1,40,000/- प्रतिमाह अर्जित करने वाला डाक्टर है। अपीलकर्त्री एम टेक (कम्प्यूटर साइंस) तथा एल0एल0बी0 डिग्री धारक है। इसने वर्तमान में बेरोजगार होने का दावा किया है।

8. उत्तरदाता ने अपने बैंक विवरणों के साथ लगभग रू0 1.4 लाख प्रतिमाह के कराधेय आय को देते हुए अपने आय कर विवरणी को पेश किया है। अपीलकर्त्री प्राख्यान करती है कि वर्ष 2010 में, उत्तरदाता ने अपने नाम से सम्पत्ति क्रय किया था।

9. निर्वाहिका के अवधारण के लिए कई कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है। अभिलेख पर सामग्री से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता के पास कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत धनराशि से ज्यादा धनराशि अदा करने की क्षमता है। फिर भी, यद्यपि अपीलकर्त्री ने बेरोजगार होने का दावा किया है, वह अत्यन्त योग्य है तथा उपार्जन करने एवं स्वयं का पोषण करने की क्षमता है। वह विकट आर्थिक तंगी के स्थिति में नही है। इसलिए उत्तरदाता के क्षमता एवं अपीलकर्त्री के जरूरतों पर विचार करते हुए संतुलित दृष्टिकोण अंगीकार किया जाना चाहिए।

10. निवेदनों तथा अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् हम एक बारगी समझौते के रूप में रू0 50,00,000/- तक स्थायी निर्वाहिका को बढ़ाना न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण पाते हैं। यह धनराशि युक्तियुक्त तरीके से अपीलकर्त्री के भविष्य को सुरक्षित रखेगा तथा इसके परिस्थितियों के अनुरूप जीवन स्तर को सुनिश्चित करेगा।

11. रू0 50,00,000/- की धनराशि निम्नवत् पांच समान मासिक किश्तों में अदा की जायेगी।

- 30-09-2025 को या पहले रू0 10,00,000 की पहली किश्त

- 31-10-2025 को या पहले रू0 10,00,000 की दूसरी किश्त
- 30-11-2025 को या पहले रू0 10,00,000 की तीसरी किश्त
- 31-12-2025 को या पहले रू0 10,00,000 की चैथी किश्त
- 31-01-2026 को या पहले रू0 10,00,000 की पांचवी किश्त

12. अपीलकर्त्री उपरोक्त भुगतान के लिए उत्तरदाता को अपना बैंक खाता विवरण देगी।

13. उपरोक्त के दृष्टिगत अपीलों को अंशतः अनुज्ञात किया जाता है। विवाह-विच्छेद की डिक्री को पुष्टि करते हुए, हम इस विस्तार तक उच्च न्यायालय क आदेश को उपांतरित करते है कि अपीलकर्त्री-पत्नी को देय स्थायी निर्वाहिका एक बारगी समझौते के रूप में रू0 50,00,000/- होगा। विवाह से उद्भूत सभी दावों तथा वर्तमान मुकदमें को पूर्णतया तथा अंतिम रूप से निपटाया जायेगा।

14. लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई है, निपटाया जायेगा।
मामले का परिणाम: अपीलों को अंशतः अनुज्ञात किया जाता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ अंकित ज्ञान द्वारा तैयार की गई।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)